**प्रकरण संख्या 14/2024 श्रीमती मंजू बनाम श्रीमती दामिनी व अन्य**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 07.08.2024 | पत्रावली प्रस्तुत। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र बाबत् शीघ्र सुनवाई के संदर्भ में निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.04.2024 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सी.पी.सी. के विरूद्ध आप न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी है, जो विधि विरूद्ध है, क्योंकि ऐसे आदेश की सिर्फ निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की जा सकती है। इसलिए उक्त अपील पोषणीय नहीं है। अपीलान्ट ने यथास्थिति के आदेश प्राप्त कर मौके पर रेस्पोन्डेन्ट से लड़ाई–झगड़ा करते हैं तथा बेवजह परेशान करते हैं। अतः प्रकरण में शीघ्र सुनवाई की जाकर यथास्थिति के आदेश को समाप्त किया जावे।<br><br>उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अर्न्तवर्तित आदेश की कोई अपील नहीं की है, बल्कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त किया गया है, उसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है, जो अपीलेबल है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील के गुणदोष पर सुनवाई कर निर्णय पारित किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2015 (1) पेज 326, आर.आर.टी. 2009 (1) पेज 453, आर.आर.टी. 2012 (1) पेज 393, आर.आर.टी. 2011 (2) पेज 1398, ए.आई.आर. 1980 केरला पेज 162 प्रस्तुत की।<br><br>हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय धारा 10 जा.दी. के आधार पर अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है, जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में रिवीजन किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश की अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी है, उनका हमने अध्ययन किया, किन्तु उक्त न्यायिक नजीरें वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होती है। तद्नुसार अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.04.2024 यथावत रखा जाता है। अपील फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। निर्णय आज दिनांक 07.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>Signature Not Verified<br><br>Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat<br>Date: 2024.10.30 12:51:01 IST<br>Reason: SelfAttested<br><br>(प्रदीप सिंह सांगावत)<br>प्रबन्ध अधिकारी<br>एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी<br>उदयपुर | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:01 IST
Reason: SelfAttested